नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

इंटरव्यू दें और फिर बन जाएं सरकारी डॉक्टर

कैबिनेट ने दी मप्र लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 8 जुलाई. योग्य डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बिना किसी देरी के डॉक्टरों को सरकारी नौकरी पर रखने के लिए नई राह निकाली है. ये पीएससी के माध्यम से होने वाली लंबी भर्ती प्रक्रिया का नया विकल्प होगा. अब मप्र में सरकारी डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले योग्य उम्मीदवारों को केवल इंटरव्यू देना होगा. यदि वे इंटरव्यू में तय मापदंडों पर खतरे उतरे तो उन्हें सरकारी डॉक्टर बना दिया जाएगा. शर्त यह होगी कि जिन रिक्त स्थानों के पद निकाले गए हैं, वहां कम से कम तीन वर्ष तक सेवा देना होगा. इस दौरान उनका तबादला नहीं होगा.

कैबिनेट ने बुधवार को मप्र लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम : 2022 के नियम 6 (4) के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विभागीय स्तर से सीधी भर्ती की कार्यवाही किए जाने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. अब इसके तहत प्रत्येक माह की एक तारीख को एमपी. ऑनलाईन पर विभाग की रिक्तियां प्रदर्शित की जायेंगी, जिनके आधार पर 15 तारीख तक आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे. उस दिनांक तक प्राप्त सभी आवेदनों पर विभागीय समिति आगामी द्वितीय बुधवार को बैठक करेगी, जिसमें सभी उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिये बुलाया जायेगा. साक्षात्कार के बाद इनकी उपयुक्तता का निर्धारण करते हुए विभागीय समिति चयन की अनुशंसा राज्य शासन को करेगी. समिति द्वारा जिस वर्ग से जितने उम्मीदवारों की अनुशंसा की जायेगी, उस वर्ग से उतनी रिक्तियां एमपी ऑनलाईन में प्रदर्शित की जा रही रिक्तियों से आगामी माह के लिये कम कर दी जायेगी. विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन ऐसे चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश सीधे जारी करेगा और उन अभ्यर्थियों को सूची में प्रदर्शित रिक्त स्थानों पर पदस्थ करेगा.

कैबिनेट ने राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत अभिलेखों के पंजीयन पर देय उपकर और अतिरिक्त स्टॉम्प ड्यूटी से छूट प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है. यानी अब पंचायतों द्वारा लिया जाने वाला उपकर भी सरकार ही भरेगी. प्रदेश में 48 लाख से अधिक स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री कराई जाएगी.

कैबिनेट ने मप्र उपार्जित खाद्यान्न (गेहूं, धान, ज्वार एवं बाजरा) निस्तारण नीति 2026 को भी मंजूरी दी है. जिसके तहत राज्य सरकार एमएसपी पर खरीदे गए अनाज जो कि केंद्र द्वारा उठाव के लिए तय किए गए कोटे से बच जाएंगे, उसे खुले बाजार में बेचा जाएगा, जिससे कि अनाज को खराब होने से बचाने के साथ ही गोदामों को दिये जाने वाले किराये से भी बचा जा सके.

छोटे आईटी पार्क बनेंगे

कैबिनेट ने मप्र आईटी, आईटीइएस एंड ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी :2023 के संशोधन प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है. संशोधित नीति के मुताबिक अगर कोई पुरानी आईटी या डेटा सेंटर कंपनी अपना काम बढ़ाना चाहती है, तो उसे अपने मौजूदा निवेश में कम से कम 30 फीसदी और पैसा लगाना होगा या अपनी जगह का एरिया 30 फीसदी बढ़ाना होगा. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को अपनी मशीनों में कम से कम 30 फीसदी या 50 करोड़ रूपये (जो भी कम हो) का नया निवेश करना होगा और उत्पादन क्षमता 20 फीसदी बढ़ानी होगी.

अब तक कितने प्रमोशन किए मुख्यमंत्री ने मांगा ब्यौरा

मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत पिछले 9 दिनों में प्रदेश के सरकारी विभागों ने कितने प्रमोशन किए हैं, इस बात का ब्यौरा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल ही विभागों से मांगा है. मुख्यमंत्री की इस मामले में सख्ती के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार दोपहर को ही इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भेज दिया और बुधवार शाम तक ही प्रमोशन की सूची अपलोड करने के निर्देश दिए.

दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव से अब तक किए गए तबादलों का पूरी जानकारी मांग ली. वे जानना चाह रहे थे कि जब से प्रमोशन के मामले में नए निर्देश दिए गए हैं, तब से लेकर अब तक किस विभाग ने कितने प्रमोशन किए हैं, विभागों में कुल कितने अधिकारियों- कर्मचारियों का प्रमोशन किया जाना था और अब तक कितने किए गए. इन सवालों का अफसरों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था. लिहाजा मुख्यमंत्री ने तत्काल ही ये जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए.

यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए

- मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वर्ष 2031 तक निरंतर रखे जाने के लिए 495 करोड़ रूपये की मंजूरी.
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2026 का अनुमोदन.
- कमजोर वर्गों को प्रभावी और कुशल विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 42 करोड़ रूपये की स्वीकृति.
- 65 नगरीय निकाय क्षेत्रों में नगर वन विकास के लिए नमो हरित नगर योजना को 100 करोड़ रूपये पांच वर्ष में मिलेंगे.
- पन्ना जिले के केन-बेतवा लिंक परियोजना, रूंज सिंचाई परियोजना और मझगांव सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए अतिरिक्त 202 करोड़ 50 लाख रुपये दिए जाएंगे.

कर्नल की पत्नी से 50 हजार की ठगी

ग्वालियर, 8 जुलाई. शहर के मुरार थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने सेना के एक कर्नल की पत्नी को अपना शिकार बनाया है. आर्मी कैंट एमएच चौराहा स्थित एसबी कॉलोनी निवासी जूही पाण्डेय (पति सिद्धार्थ मिश्रा) बीती दिल्ली और आगरा यात्रा के लिए गूगल पर होटल सर्च कर रही थीं.

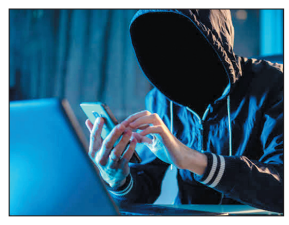

इसी दौरान वे 'कोर्टयार्ड बायमार' नामक एक फर्जी वेबसाइट पर पहुंचीं, जो हूबहू असली होटल जैसी दिख रही थी. वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर हरीश अग्रवाल नामक व्यक्ति ने उन्हें 5 दिनों का एडवांस पेमेंट 50,090 जमा करने को कहा. पीड़िता ने झांसे में आकर अलग-अलग यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर दिए. रकम मिलते ही आरोपी ने नंबर ब्लॉक कर दिया. होटल प्रबंधन से संपर्क करने पर वेबसाइट के फर्जी होने का पता चला. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

युवक से 28 हजार की साइबर ठगी

इंदौर. संयोगितागंज थाना क्षेत्र में शेयर मार्केट में हुए नुकसान की भरपाई का झांसा देकर एक युवक से 28 हजार रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है. टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क करने वाले ठगों ने 100 प्रतिशत रिटर्न का भरोसा दिलाकर अलग-अलग किस्तों में रकम ट्रांसफर करा ली. शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक जावरा कंपाउंड स्थित उर्वशी कॉम्प्लेक्स निवासी रोहित पिता डी.के. शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि 29 जून को टेलीग्राम पर 'पंकज भारद्वाज' नाम के चैनल पर शेयर मार्केट में हुए नुकसान की भरपाई का विज्ञापन देखा. लिंक पर क्लिक करते ही वह एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए, जहां उनसे निवेश की राशि पूछी गई.

जेल प्रहरी को जूते में बीड़ी का बंडल ले जाते रंगे हाथ पकड़ा, निलंबित

ग्वालियर. सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच जेल प्रहरी की शर्मनाक करतूत सामने आई है. जेल प्रहरी को जूते में बीड़ी का बंडल ले जाते रंगे हाथ पकड़ा गया.जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल प्रहरी प्रबल प्रताप सिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जेल अधीक्षक ने कहा कि 'जेल नियमों का उल्लंघन करने वाले और अनुशासनहीनता फैलाने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा. सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

प्रेमी की गोद में सिर रख लेटी थी प्रेमिका का गला घोंटकर मार दिया

मुरैना. नगरा थाना इलाके में 17 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 माह बाद खुलासा किया है. पुलिस ने आरोपी प्रेमी गोलू उर्फ ब्रजेश राठौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगाकर राजस्थान के दौसा ले गया. वहां सुनसान जगह पर हत्या कर शव को सेफ्टी टैंक में दबाया दिया. 3 माह के बाद अपनी शादी के लिये गांव लौटने पर वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 22 मार्च 2026 को उसकी सगाई किसी दूसरी युवती के साथ तय हो गयी थी. इसका पता चलते ही प्रेमिका ने उससे शादी करने का दबाव बनाया. आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि दोनों घर से भागकर शादी करेंगे. 28 मार्च को वह प्रेमिका को लेकर घर से भाग गया. आरोपी राजस्थान के भीलवाड़ा में नौकरी करता था. वह प्रेमिका को ट्रेन से लेकर निकला, लेकिन भीलवाड़ा जाने के बजाय दौसा स्टेशन पर उतर गया.

व्यापारी की आंखों में स्प्रे डालकर 17 लाख की लूट

गुना, 8 जुलाई. सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निचला बाजार स्थित शीतला माता मंदिर रोड पर बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक धनिया व्यापारी की आंखों में मिर्च या केमिकल स्प्रे झोंककर दिनदहाड़े 17 लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए.

इस बड़ी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

जानकारी सामने आई है कि मूलतः राजस्थान के बीकानेर निवासी व्यापारी वासुदेव शर्मा गुना के चौधरी मोहल्ला में किराए से रहते हैं. वे अपने दो अन्य पार्टनरों के साथ मिलकर जिले में धनिया का व्यापार करते हैं. बुधवार सुबह करीब 10 बजे वे अपने पार्टनर व्यापारियों को भुगतान करने के लिए 17 लाख रुपये नकद लेकर कुंभराज जाने के लिए निकले थे.

व्यापारी वासुदेव जैसे ही निचला बाजार शीतला माता मंदिर रोड के पास पहुंचे, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में कोई अज्ञात स्प्रे डाल दिया.

> आंखों में जलन होने के बावजूद व्यापारी वासुदेव ने हिम्मत नहीं हारी और लगभग 7 मिनट तक बदमाशों से अकेले लोहा लिया और अपना बैग बचाने का पूरा प्रयास किया. लेकिन अंततः बदमाश उनके हाथ से 17 लाख रुपये से भरा बैग छीनकर रफूचक्कर होने में कामयाब रहे. घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाना टीआई राजकुमार पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. इतनी बड़ी रकम की लूट को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.

सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगौद को ताला लगाकर बंद करने पर कोर्ट सख्त

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने जिला प्रशासन से पूछा है कि किसके निर्देश पर सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगौद जिला जबलपुर को ताला लगाकर बंद किया गया. एकलपीठ ने एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

यह याचिका सुरेश कुमार नामदेव और अन्य की ओर से दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2021 में हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगौद का चयन सीएम राइज स्कूल के लिए किया गया था. स्कूल भवन के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी. कुछ समय बाद 12 किलोमीटर दूर ग्राम रैपुरा पनागर में सिंगौद स्कूल के नाम पर भवन बनाया जाने लगा. यह सब किसके निर्देश पर हुआ, किसी को भी जानकारी नहीं है.

96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 48 माह का एरियर देने के निर्देश

जबलपुर, 8 जुलाई. प्रदेश की लगभग 96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को वर्ष 2019 से 2023 के बीच का चार साल (48 माह) का लंबित मानदेय एरियर भुगतान करने का निर्देश दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद सरकार को करीब 1400 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करना होगा. हालांकि, एरियर पर 6 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश रद्द कर दिया गया है.

वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,500 रुपये की वृद्धि की थी. इसके बाद 2019 में प्रदेश में नई सरकार बनने पर राज्य सरकार ने अपने हिस्से का अंशदान कम कर दिया. इसका असर यह हुआ कि केंद्र की ओर से बढ़ाई गई राशि का पूरा लाभ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक नहीं पहुंच सका. इस निर्णय के विरोध में आंगनबाड़ी संगठन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी.

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार की ओर से अंशदान घटाने को नियमों के अनुरूप नहीं माना था. अदालत ने जून 2019 से जून 2023 तक के 48 माह का एरियर 120 दिनों के भीतर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का निर्देश दिया था. इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया था.

डिवीजन बेंच ने क्या कहा...

जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने के बाद राज्य सरकार अपने अंशदान में कटौती नहीं कर सकती थी. ऐसा करने से लाभार्थियों को मिलने वाला वास्तविक आर्थिक फायदा कम हो गया. पीठ ने राज्य सरकार को पूर्व की व्यवस्था के अनुसार अपना अंशदान बनाए रखने और वर्ष 2019 से 2023 तक का बकाया एरियर जारी करने के निर्देश दिए.

निलंबित सिविल जज को हाईकोर्ट से झटका

जबलपुर. फर्जी ऑर्डरशीट जारी करने के आरोप में निलंबित सिविल जज ने विभागीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.

याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि अपराधिक प्रकरण तथा विभागीय कार्यवाही के तथ्य एक जैसे है. विभागीय जांच में बचाव में दिये गये तथ्य उजागर होने से आपराधिक प्रकरण में असर पड़ सकता है. हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ ने याचिका को निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा है कि आरोपी न्यायिक सेवा के एक सदस्य से संबंधित हैं. न्यायपालिका में जनता का विश्वास है और यह संवैधानिक व्यवस्था के आधारभूत स्तंभों में एक है. आपराधिक कार्यवाही का समय अनिश्चितकालीन है. विभागीय कार्यवाही में अनावश्यक देरी नहीं की जा सकती और प्रशासनिक अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है. निलंबित सिविल जज विजेन्द्र सिंह रावत की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उन पर आरोप है कि इंदौर में पदस्थ रहने के दौरान एक आपराधिक प्रकरण में आईएएस संतोष वर्मा को दोषमुक्त किये जाने के संबंध में 6 अक्टूबर 2020 को फर्जी आदेश जारी किये थे.

> अपराधिक प्रकरण के साथ जारी रहेगी विभागीय कार्यवाही

सिंधिया के दिए समझौता आवेदन पर नहीं हो सकी सुनवाई

ग्वालियर. न्यायालय में रिकॉर्ड रूम से फाइल नहीं आने के कारण केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिए गए समझौता आवेदन पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी और टल गई. समझौता प्रस्ताव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य और उनकी बुआओं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मप्र की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, ऊषा राजे राणा व अन्य के बीच अरबों रुपए की शाही विरासतों के बंटवारे पर अंतिम सहमति बन चुकी है. तमाम दौर की पारिवारिक बैठकों के बाद समझौते का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिस पर अब सिर्फ कानूनी मुहर लगना शेष है. ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से ग्वालियर जिला न्यायालय में आवेदन भी पेश कर दिया गया है.

यूको बैंक एफडी घोटाले का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार

रतलाम. वर्षों की जमा-पूंजी को सुरक्षित मानकर बैंक में रखने वाले ग्राहकों के भरोसे को तोड़ने वाले एफडी घोटाले का माणकचौक थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने यूको बैंक की लक्कड़पीठा रोड शाखा से जुड़े एक आउटसोर्स कर्मचारी सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ग्राहकों की एफडी को बिना अनुमति मोबाइल बैंकिंग के जरिए तुड़वाकर रकम अलग-अलग खातों में स्थानांतरित की गई और उसका निजी लाभ उठाया गया. मामले की शुरुआत 30 जून 2026 को दिनेश बंजारा की शिकायत से हुई. शिकायत में बताया गया कि बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी राहुल राठौर ने सुनियोजित तरीके से उनके सहित कई ग्राहकों की एफडी तोड़ी और राशि पहले अपने खाते में तथा बाद में परिचितों के खातों में ट्रांसफर कर दी.